

## **Regarding need to expedite process of merger of civil areas of Cantonment Boards with Municipal Bodies across the country- laid**

श्री सुरेश कुमार कश्यप (शिमला) : मैं लो कसभा नि यम 377 के अंतर्गत जनता के महत्वपूर्ण और तात्कालिक हित से संबंधित विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में छावनी परिषदों के सिविल क्षेत्रों के संबंधित राज्यों की नगर निकायों में विलय की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी । किंतु लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह विलय प्रक्रिया अंतिम चरण तक नहीं पहुँच सकी है । सर्वे, जन-सुनवाई तथा प्रारूप अधिसूचनाओं के बावजूद अंतिम निर्णय न होने से प्रक्रिया अत्यधिक विलंबित हो रही है । इस देरी के कारण छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकोंविशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों मेंपूर्ण नगर निकाय अधिकार, नागरिक सुविधाएँ तथा शहरी सेवाएँ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । विलय में अनिश्चितता और समय-सीमा के अभाव ने स्थानीय नागरिकों में नाराज़गी और प्रशासनिक असमंजस उत्पन्न कर दिया है । अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस विलय प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए, आवश्यक अंतिम अधिसूचनाएँ जल्द जारी की जाएँ तथा छावनी क्षेत्रों के नागरिकों को बिना और विलंब के पूर्ण नगरपालिका अधिकार प्रदान किए जाँ ।